झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ० एफ० पी० भवन धुर्वा, राँची।

पत्रांकः– परि०आ०–12/2019 1448 **/ राँची, दिनांकः–** 21.08.2019

प्रेषक,

शेखर जमुआर,
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड।

विषयः– प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड मोटरवाहन संशोधन नियमावल, 2002 एवं 2019 के आलोक में प्रदूषण जाँच केन्द्र की स्थापना हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जमा किया जाता है।

प्रायः यह पाया गया है कि प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्तियों के द्वारा आवश्यक जानकारी के अभाव में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन समर्पित नहीं किया जाता है, जिसके कारण प्रदूषण जाँच केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति में प्रक्रियात्मक विलंब होती है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण जाँच केन्द्र की स्थापना हेतु विहित प्रपत्र, चेक–लिस्ट एवं एतद् संबंधी नियमावली की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। विहित प्रपत्र एवं चेक–लिस्ट विभागीय वेबसाईट–www.jhtransport.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि प्रदूषण जाँच केन्द्र की स्थापना हेतु विहित प्रपत्र एवं चेक–लिस्ट को कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करते हुए व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाए एवं तदनुरूप प्राप्त प्रस्ताव स्पष्ट अनुशंसा के साथ विभाग को प्रेषित की जाय।

विश्वासभाजन

अनु०–1. प्रपत्र (APTC)
2. चेक–लिस्ट
3. नियमावली की प्रति

21.8.19
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांकः परि०आ०–12/2019 1448 **/ राँची, दिनांकः–** 21.08.2019

प्रतिलिपि–प्रेषण शाखा को अनुलग्नक की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना को विभागीय वेबसाईट एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित किया जाय।

21.8.19
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

प्रपत्र

ए० पी० टी० सी०

(झारखण्ड मोटरवाहन नियमावली, 2001 का नियम 252 घ देखे)

मोटर वाहन के निस्सरण जाँच हेतु प्राधिकरण–पत्र की स्वीकृति/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र।

1. पूरा नाम एवं पता :

2. व्यक्ति के आवेदक की दशा में पिता का नाम :

3. जाँच केन्द्र का स्थल पूर्ण विवरणी के साथ :

4. क्या वाहन खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह है? (नक्शा संलग्न करें) :

5. क्या प्रशिक्षित यांत्रिक उपलब्ध है? यदि हाँ, तो कितने? उनका नाम, पता और इस क्षेत्र में उनके अनुभव के संबंध में प्रमाण–पत्र दें :

6. औजारों एवं उपकरणों की पूर्ण विवरणी इस प्रमाण–पत्र के साथ कि औजार एवं उपकरण केन्द्रीय मोटरवाहन, नियमावली के नियम 116 के उप–नियम(3) में उल्लेखित एजेंसियों में से किसी एक से अनुमोदित है :

7. व्यक्ति/व्यक्तियों के उनके हस्ताक्षर के नमूना के साथ नाम जिन्हें प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर के लिए नामित किया गया है :

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सही है। मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि दी गयी सूचना में कोई गलती पायी जाएगी तो निस्सरण जाँच केन्द्र के लिए जो अनुज्ञप्ति दी गयी है वह रद्द कर दी जाएगी।

स्थान :

तिथि : आवेदक का हस्ताक्षर

शुल्क की विवरणी–

प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना की स्वीकृति हेतु दिये जाने वाले आवेदन का चेक–लिस्ट

Y/N

1. आवेदन विहित प्रपत्र (A.P.T.C.) में पूर्ण रूप से भरा – ☐
2. जाँच केन्द्र का स्थल की विवरणी –

   (i) Lease/RentAgreement अथवा भूमि का कागजात संलग्न – ☐

   अथवा

   (ii) पेट्रोल पम्प का Trade License (Form-IV) की प्रति संलग्न – ☐
3. तकनीकी कर्मी का योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न

   Mechanical/Automobile/Electrical Engineering में डिप्लोमा /डिग्री

   का प्रमाण पत्र – ☐
4. PUC स्थापना हेतु SBI Collect के माध्यम से जमा 10,000/– रूपये की रशीद की छायाप्रति संलग्न – ☐
5. PUC हेतु Smoke Meter एवं Gas Analyzer का Invoice तथा ARAI से निर्गत प्रमाणपत्र पतिवेदन – ☐
6. PUC के अन्य उपकरण Computer Set, Web Camera, UPS & Others से संबंधित Invoice प्रतिवेदन – ☐
7. आवेदक का पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न – ☐

   (Aadhar Card/ Voter ID/ PAN Card/ Driving License or Any other proof)

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः–1. आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात आवेदक द्वारा स्व–अभिप्रमाणित होना आवश्यक है।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक से प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक द्वारा प्रतिभूति भुल्क (Security Deposit) के रूप में 10,000/– का किसी डाक घर से निर्गत NSC को Transport Commissioner, Ranchi के नाम से pledged कराते हुए जमा किया जायेगा।

3. प्रदूषण जाँच केन्द्र के स्थापना हेतु पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन परिवहन आयुक्त कार्यालय, एफ.एफ.पी. भवन, एच.ई.सी., धुर्वा, राँची में जमा किया जायेगा।

प्रदूषण जाँच केन्द्र के नवीकरण हेतु दिये जाने वाले आवेदन के चेक–लिस्ट

Y/N

1. आवेदनविहित प्रपत्र (A.P.T.C.) में पूर्ण रूप से भरा – ☐
2. प्रदूषण जाँच केन्द्र के लिये निर्गत अनुज्ञप्ति की छायाप्रति – ☐
3. PUC नवीकरण हेतु SBI Collect के माध्यम से 10,000/– का चालान/ रसीद की छायाप्रति – ☐
4. Smoke Meter & Gas Analyzer का वैद्य Calibration Certificate - ☐
5. आवेदक का पहचान पत्र की छायाप्रति संलग्न – ☐

(Aadhar Card/Voter ID/PAN Card/Driving License or Any other proof)

आवेदक का हस्ताक्षर

नोटः–आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात आवेदक द्वारा स्व–अभिप्रमाणित होना आवश्यक है।

(1456)

105

झारखण्ड सरकार,
परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग,
झारखण्ड, रांची ।

झारखण्ड मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2002.

(अधिसूचना)

संख्या- 1362 /रांची, दिनांक- 9/5/2002

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59 वर्ष 1988) की धारा 111 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार, झारखंड मोटर वाहन नियमावली 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होने की तिथि:-(1) यह नियमावली झारखण्ड मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 02 कहलायगी ।

(2) इसका विस्तार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. नियमावली के अध्याय-1 के नियम 2 में संशोधन-झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001 के नियम 2 (क) के बाद निम्न प्रतिस्थापित किए जायेंगे:-

2(एल) "प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत प्रमाण पत्र" का तात्पर्य एक लिखित दस्तावेज है जो यह इंगित करता है कि किसी मोटर वाहन की निकास नली से निस्सरित प्रदूषण का स्तर केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है ।

2(एम) " प्राधिकरण प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्य परिवहन आयुक्त अथवा संयुक्त परिवहन पदाधिकारी से अन्यून स्तर का पदाधिकारी है जिसे राज्य परिवहन आयुक्त ने प्राधिकरण पत्र निर्गत करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है ।

3. झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001 के नियम 252 के बाद निम्न अध्याय एवं नियम प्रतिस्थापित किए जाते हैं :-

अध्याय- XI ए

"प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत" प्रमाण-पत्र की आवश्यकता

252 क (1) -झारखण्ड राज्य में किसी वाहन का निबंधन मोटर वाहन निरीक्षक अथवा प्राधिकरण प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रदूषण जाँच केन्द्र द्वारा निर्गत "प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत" प्रमाण-पत्र के बिना नहीं होगा ।

(2) -प्रथम निबंधन की तिथि से एक वर्ष के व्यतीत होने पर प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन का निरीक्षक अथवा प्राधिकरण प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रदूषण जाँच केन्द्र द्वारा निर्गत वैध "प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र " रखकर चलना होगा ।

(3) -ऊपर खण्ड (2) में निहित प्रावधान के रहते हुए भी राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत प्रदूषण स्तर जाँच निरीक्षक किसी वाहन की निकास-नली से निस्सारित प्रदूषण स्तर की जाँच कर सकेगा । यदि वाहन की निकास नली से निस्सारित प्रदूषण स्तर केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 115(2) के तहत निर्धारित माप दण्ड से अधिक पाया जाता है तो वह उपलब्ध प्रमाण पत्र को रद्द करते हुए वाहन के स्वामी, चालक को नया "प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत प्रमाण-पत्र " प्राप्त करने का निदेश देगा ।

252ख- वैधता -खण्ड (2) के अन्तर्गत निर्गत एवं खण्ड (3) के अन्तर्गत प्राप्त "प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र " की वैधता निर्गत की तिथि से छः माह की अवधि के लिए होगी ।

252 ग- प्रदूषण जाँच केन्द्र का प्राधिकरण

कोई एजेंसी तब तक प्रदूषण जाँच-" केन्द्र के रूप में कार्य नहीं करेगा जब तक वह प्राधिकरण प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत वैध प्राधिकरण पत्र धारण नहीं करता है ।

252 घ- प्रदूषण जाँच केन्द्र हेतु प्राधिकरण पत्र की स्वीकृति या नवीकरण के लिए प्रपत्र ए.पी.टी.सी. में प्राधिकरण प्राधिकारी को आवेदन किया जायेगा और ऐसे प्राधिकरण के लिए दो हजार रुपये शुल्क के रूप में वसूला जायेगा ।

इस तरह का कोई आवेदन विचारित नहीं होगा जिसके साथ राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित रीति से दो हजार रुपये शुल्क के भुगतान एवं प्राधिकरण पत्र की स्वीकृति हेतु आवेदन के मामले में दस हजार रुपये की प्रतिभूति जमा करने के प्रमाण में प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं होगा ।

252 ङ- इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण प्राधिकारी स्वयं या किसी के द्वारा, प्रस्तावित केन्द्र परिसर का यह सत्यापित करने के लिए कि प्रस्तावित

(कृ. पृ. उ.)

(454) 104

स्थल उपर्युक्त है और आवेदन-पत्र में दी गयी सूचनाएँ सही है निरीक्षण करेगा या करायेगा ।

252 च- प्राधिकरण प्राधिकारी संतुष्टि पर प्रपत्र ए.सी. में प्राधिकरण पत्र स्वीकृत या नवीकृत करेगा । अस्वीकृति की दशा में सकारण आदेश पारित किया जायगा जिसकी प्रति माँग पर आवेदक को दिया जायगा । अस्वीकृति पर आवेदन-पत्र के साथ जमा की हुई पूर्ण प्रतिभूति की राशि एवं शुल्क की आधी राशि उचित प्राप्ति पर आवेदक को वापस कर दी जायगी ।

252 छ- स्वीकृत या नवीकृत प्राधिकरण-पत्र स्वीकृति या नवीकरण की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा ।

252 ज- प्राधिकरण-पत्र के नवीकरण हेतु इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले आवेदन देना होगा । विलम्बित आवेदन के लिए आवेदक को विलम्ब का कारण देना होगा और विलम्ब दण्ड के रूप 1000/-रु. (एक हजार रुपये) जमा करना होगा ।

252 झ- प्राधिकरण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सरकार के परिवहन विभाग के सचिव के समक्ष दायर किया जा सकेगा ।

252 ञ देय शुल्क:- प्राधिकृत जाँच केन्द्र की गयी जाँच एवं निर्गत प्रमाण-पत्र के लिए राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित शुल्क ले सकेगा । शुल्क की यही दर सरकारी जाँच केन्द्रों से ग्राहकों द्वारा करायी गयी जाँच एवं प्राप्त किए गए प्रमाण के लिए लागू होगी ।

252ट- प्राधिकृत प्रदूषण जाँच केन्द्र:-

(1). एक पंजी का संधारण निम्न प्रपत्र में करेगा एवं अलग-अलग स्तम्भों में सही एवं पूर्ण विवरणी अभिलेखित करेगा,

प्रपत्र

वाहन की निबंधन संख्या	मेक/मोडल एवं वाहन के प्रथम निबंधन की तिथि ।	गैस का नाम एवं उसके निस्सरण का स्तर	जाँच की तिथि एवं समय	निर्गत प्रमाण की विस्तृत विवरणी	प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
1.	2.	3.	4.	5.	6.

(2). प्रत्येक वाहन के संबंध में प्राधिकरण प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रपत्र पी.सी. में "प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत" प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा यदि संबंधित वाहन के संबंध

(क्र.पृ.उ.)

में जाँच के बाद प्रदूषण स्तर केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 115 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अन्तर्गत पाया जाता है या " प्रदूषण स्तर प्रमाण-पत्र" निर्गत करेगा यदि जाँच के बाद प्रदूषण का स्तर केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 115 के उप नियम (2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है;

(3) प्राधिकरण प्राधिकारी, जाँच केन्द्र क्षेत्र के प्रभारी मोटर वाहन निरीक्षक और राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी को प्रदूषण जांच केन्द्र की जाँच करने देगा एवं जाँच पदाधिकारी की मांग के अनुसार संधारित अभिलेख प्रस्तुत करेगा एवं सूचना देगा,

(4) स्पष्ट दिखाई पड़ने वाला एक पट का प्रदर्शन करेगा जिसमें "प्रदूषण जाँच-केन्द्र" लिखित रहेगा एवं जाँच केन्द्र " को राष्ट्रीय अवकाश छोड़कर सप्ताह के सभी सातों दिन, 8 बजे प्रातः से 12 बजे मध्याह्न एवं 4 बजे अपराह्न से 8 बजे संध्या तक खुला रखेगा ,

(5) राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत सभी निदेशों/अनुदेशों का पालन करेगा,

(6) प्राधिकार पत्र में उल्लेखित व्यवसाय स्थल को प्राधिकरण प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बगैर परिवर्त्तित नहीं करेगा ।

252 ठ- प्राधिकरण प्राधिकारी लिखित आदेश से प्राधिकरण पत्र को प्राधिकरण-पत्रधारी को सुनवाई का उचित अवसर देकर निलम्बित या रद्द कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के किसी प्रावधान और प्राधिकरण के किसी शर्त्त का उल्लंघन हुआ है ।

(1) प्राधिकरण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध आदेश के तीस दिनों के अन्दर परिवहन विभाग के सचिव के समक्ष, अपील किए गए आदेश की अभिप्रमाणित प्रति के साथ एवं राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विहित रीति के अनुसार दो सौ रुपये शुल्क की अदायगी के साथ अपील किया जा सकेगा ।

(2) अपीलीय पदाधिकारी अपीलकर्त्ता को सुनवाई का उचित अवसर देकर जैसा वह उचित समझे आदेश पारित कर सकेगा ।

(क्र॰ पृ॰ उ॰)

(452) 102

(5) यदि प्राधिकरण-पत्र की मूल प्रति खो जाय या नष्ट हो जाय और इसकी सूचना प्राधिकरण प्राधिकारी को दी जाय एवं एक हजार रूपये के शुल्क के साथ आवेदन दिया जाय तो द्वितीयक प्राधिकरण पत्र "द्वितीयक" अंकन के साथ निर्गत किया जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
चिन्तु नायक
(चिन्तु नायक) 7/5/2002
सरकार के सचिव,
परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक-परि.आ.-1747/02- 1362 / रांची, दिनांक 9/5/2002 /

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, रांची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अधिसूचना की 500 प्रतियाँ [illegible] इस कार्यालय को कृपया भेजे जायें।

(चिन्तु नायक) /5/2002
सरकार के सचिव,
परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक-परि.आ.-1747/02- 1362 / रांची, दिनांक 9/5/2002 /

प्रतिलिपि-सभी प्रमंडलायुक्त/उपायुक्त/जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार/राज्य परिवहन पदाधिकारी/प्रवर्तन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक/चलन्त दस्ता निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चिन्तु नायक)
सरकार के सचिव,
परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग,
झारखण्ड, रांची।
(कृ.पृ.उ.)

(451) 101

ज्ञापांक-प.. आ. 1747/02-1368/ राँची, दिनांक- 9/5/2002 /

प्रतिलिपि-निदेशक, जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग को उक्त अधिसूचना को ... प्रतियों में प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि उक्त सूचना का प्रकाशन प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक पत्र में एक तिथि को यथाशीघ्र प्रकाशन कराने का कष्ट करें ।

(हस्ताक्षर) 9/5/2002

(चिन्तु नायक)
सरकार के सचिव,
परिवहन एवं नागरिक विमानन विभाग,
झारखण्ड, राँची । ...02

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 492 राँची, शुक्रवार, 21 जून, 2019 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

20 जून, 2019

झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019

संख्या-परि०वि०-145/2007(पार्ट)-630..मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-111 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करते है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होने की तिथि:-**

   (i) यह नियमावली झारखण्ड मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 2019 कहलाएगी।

   (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

2. **झारखण्ड मोटरगाड़ी नियमावली**, 2001 **के नियम**-252 **के उप नियम**-252(**घ**), 252(**छ**), 252(**ज**) **एवं** 252(**ञ**) **को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-**

(i) **नियम 252 का उप नियम 252 (घ)**- प्रदूषण जाँच केन्द्र हेतु प्राधिकरण पत्र की स्वीकृति या नवीकरण के लिए प्रपत्र ए.पी.टी.सी. में प्राधिकरण प्राधिकारी को आवेदन दिया जायेगा। इस नियम के अधीन ऐसे प्राधिकरण एवं एतद् संबंधी अन्य स्वीकृति के लिये निम्न शुल्क का भुगतान किया जाएगा-

(क)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए फीस।	10000.00 रू०
(ख)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र की अनुज्ञप्ति की नवीकरण करने के लिए फीस।	10000.00 रू०
(ग)	नियम-252 ठ के उप-नियम (1) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए फीस।	1000.00 रू०
(घ)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के स्थल परिवर्त्तन हेतु आवेदन फीस।	5000.00 रू०
(ड.)	मोटर वाहनों की जाँच के लिये प्रदूषण जाँच केन्द्र के अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण (वैद्य उत्तराधिकारी के बीच) हेतु फीस।	3000.00 रू०

(ii) **नियम 252 का उप नियम 252 (छ)** - स्वीकृत या नवीकृत प्राधिकार पत्र स्वीकृति या नवीकरण की तिथि से 03 (तीन) वर्ष के लिए वैद्य होगा।

(iii) **नियम 252 का उप नियम 252 (ज)** - प्राधिकरण पत्र के नवीकरण हेतु इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम तीस दिन पहले आवेदन देना होगा। विलंबित आवेदन के लिए आवेदक को विलम्ब का कारण देना होगा और विलम्ब अवधि के लिए दंड के रूप में निम्न शुल्क देय होगा-

क्र०सं०	**अवधि**	**विलम्ब फीस**
(क)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के पूर्व	00/-
(ख)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर	1000/-
(ग)	अनुज्ञप्ति की वैद्यता की समाप्ति के पश्चात	1000/- एवं प्रत्येक माह व अंश के लिए 500/-प्रतिमाह

(iv) **नियम 252 का उप नियम 252 (ञ)-** प्राधिकृत जाँच केन्द्र के द्वारा की गयी जाँच एवं निर्गत प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए निम्न शुल्क जाँच केन्द्र द्वारा ली जाएगी-

क्र०सं०	वाहनों का प्रकार	अवधारित फीस	अवधारित फीस में से सरकार को दी जानेवाली राशि
1.	दुपहिया वाहन	50.00 रू०	20.00 रू०
2.	तीन पहिया वाहन	80.00 रू०	30.00 रू०
3.	चार पहिया वाहन	120.00 रू०	40.00 रू०
4.	मध्यम वाहन	200.00 रू०	80.00 रू०
5.	भारी वाहन	300.00 रू०	100.00 रू०

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 492 -- 50